बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02 / टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42 / 2012 परि0 3523

ई–मेल / निबंधित

प्रेषक,

राम किशोर मिश्र, भा0प्र0से0
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन,
पाण्डेय प्लाजा, द्वितीय तल्ला, एक्जिबिसन रोड, पटना–800001
बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन,
नरसिंह मार्केट कंकड़बाग, पटना।
बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन,
मुकुट निवास, चांदमारी रोड, पटना–800020
शाही तिरुपति ट्रेवल्स, (दीणा शाही),
बस ऑनर एसोसिएशन, न्यू मार्केट, स्टेशन रोड, पटना।
ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, सिंह सर्विसेज,
इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, पहाड़ी, एन0एच0–30, पटना।

पटना, दिनांक– 06.07.17

विषयः– **व्यवसायिक / मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा योजना से संबंधित अधिसूचना का संसूचन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कर–प्रमादी निबंधित / अनिबंधित व्यवसायिक / मालवाहक वाहन तथा कृषि / व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर को सर्वक्षमा दिये जाने से संबंधित बिहार गजट (असाधारण अंक) की **अधिसूचना सं0–583, दिनांक–05 जुलाई, 2017** की प्रति संलग्न करते हुए आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का अधिकतम प्रचार–प्रसार करें ताकि इसका लाभ अधिकतम लोग ले सकें।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

-मेल/
बंधित

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–02/टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0

प्रेषक,

राम किशोर मिश्र, भा0प्र0से0
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, बिहार।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– **व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा योजना से संबंधित अधिसूचना का संसूचन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर को सर्वक्षमा दिये जाने से संबंधित बिहार गजट (असाधारण अंक) की **अधिसूचना सं0–583, दिनांक–05 जुलाई, 2017** की प्रति संलग्न करते हुए आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे इस अधिसूचना का अधिकतम प्रचार–प्रसार करें ताकि इसका लाभ अधिकतम लोग ले सकें।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति अपने अधिनस्थ कार्यालयों में भेजवाकर कृषक बंधुओ को इसका लाभ लेने हेतु प्ररित करने की कृपा करें।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/टैक्स (ट्रैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0 3521 पटना, दिनांक– 06.07.17

प्रतिलिपि – मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 आषाढ़ 1939 (श०)
(सं० पटना 583) पटना, बुधवार, 5 जुलाई 2017

परिवहन विभाग

अधिसूचना
5 जुलाई 2017

सं0 02/टैक्स (टैक्टर–ट्रेलर सर्वक्षमा)–42/2012 परि0 3481——बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उप–धारा (7) सहपठित धारा–15 की उप–धारा (1) एवं धारा–23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन तुरंत के प्रभाव से प्रदान करती है :–

(i) कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर–ट्रेलर, जो कृषि/व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त हो, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में एकमुश्त राशि 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये जमा करने पर, उस वाहन पर देय कर/अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा;

(ii) अन्य सभी प्रकार के निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन, जो कर–प्रमादी हो गये हैं, को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर की अवधि में, बकाया कर के अतिरिक्त 25% अर्थदण्ड जमा करने पर, उस वाहन पर अतिरिक्त अर्थदण्ड, जो भी होगा, की सर्वक्षमा दी जायेगी और उस वाहन को निबंधित/विनियमित कर दिया जायेगा;

(iii) इस सर्वक्षमा (Amnesty) योजना का लाभ नीलामपत्र–वाद के बकायेदार वाहन स्वामी को भी दिया जायेगा;

वैसे वाहन स्वामियों को, जो इस योजना का लाभ नहीं उठायेंगे, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान प्रचलित दर पर कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 5th July 2017

No. 02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012/tr/3481—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7, readwith sub-section (1) of section-15 and provision of section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, the State Government hereby grants amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered/ unregistered commercial/Goods carriage vehicle and Tractor-trailer, which are used in agricultural/commercial activities, will be given amnesty, subject to the following conditions with immediate effect:-

(i) Tax defaulter registered/unregistered tractor-trailer, which are used in agricultural/commercial activities, on deposite of lumpsum Amount Rs.25,000 within the period of six months from the date of issuance of the notification, amnesty of payable tax/penalty, whichever will be on such vehicles, will be given and such vehicles will be registerd/ regulated;

(ii) All other types of registerd/unregisterd commercial/goods carriage vehicles, which are tax defaulters, will be registerd/regulated and the certificate case thereon shall be withdrawn, on deposit of payable tax with 25% penalty within six months from the date of issuance of the notification;

(iii) The benifits of this amnesty scheme shall be extended to the defaulter of certificates case.

Such vehicle owners, who will not avail of the scheme during the aforesaid period, shall have to pay present rate of taxes and penalty as per the provisions of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 and the Bihar Motor Vehicle Taxation rules, 1994.

By order of the Governor of Bihar,
Sujata Chaturvedi,
Principal Secretary to the Goverment.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 583-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in